



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-18042022-235174
CG-RJ-E-18042022-235174

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1739]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1739]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 11 अप्रैल, 2022

का. आ.1828 (अ)—केन्द्रीय सरकार ने रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 20फ के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य “उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के गुढा एवं ठठाना मीठडी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधार भूत कम्पोनेंट टेस्टिंग व ट्रायल के लिए डेडीकेटेड रेल लाईन का निर्माण” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	जिला
1	2	3
1	जिला कलेक्टर, नागौर	नागौर

[फा. सं. NWR/DY.CE/C/I/JP/S&C/563531315]

बृजेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

JAIPUR, 11April, 2022

S.O. 1828(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F(6) of Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the “Construction of Dedicated Test Track for Testing and Trial of Rolling Stock and Infrastructure component between Gudha & Thathana Mithri Stations in Jodhpur Division of North Western Railway ” in the State of Rajasthan relating to District mentioned in column (3) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	District
1	2	3
1	District Collector, Nagaur	Nagaur

[F. No. NWR/DY.CE/C/I/JP/S&C/563531315]

BRIJESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)